

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-06/चि0प्रति0-36-01/2018

पटना, दिनांक—

श्री किशोर कुमार सिन्हा, राज्य-कर विशेष आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के पत्रांक-8043 दिनांक-11.10.2017 की कंडिका 3 (G) (i) छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रावधान के आलोक में ब्लॉक वर्ष 2022-2025 में दिनांक-26.05.2025 से 30.05.2025 तक शिलांग (मेघालय) भ्रमण हेतु सपरिवार छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-06/चि0प्रति0-36-01/2018 2155

पटना, दिनांक- 22/05/25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/लेखा परीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री किशोर कुमार सिन्हा, राज्य-कर विशेष आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की जाती है कि याचित अवकाश की स्वीकृति एच0आर0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से करायेंगे।

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।